International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030, Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 2; Issue 4; July 2017; Page No. 489-491

प्रजा उन्मुखी राजा के कृत्य और धर्मशास्त्र

डॉ. दयाशंकर तिवारी

एसोसिएट प्रोफेशर, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद पी.जी.कालेल, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबादं, उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

राजा के कर्तव्य–धर्मशास्त्रों में राजा के कार्यों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। कौटिल्य ने राजा को ही राज्य कहा है। महाभारत में राजा को ''कालस्य कारणम्'' कहा गया है। शुक्रनीति में उल्लेख मिलता है कि राजा रीति–रिवाज तथा आन्दोलनों के पीछे कारण रूप होने से काल का निर्माता या प्रेरक है। कालिदास ने विक्रमोवर्षीय नामक ग्रन्थ में इस बात का उल्लेख किया है कि राजा युग के आकार का निर्माण करता है और राज्य के स्वरूप का निर्माता है अतः राजा काल या समय का कारण है– राजा कालस्य कारणम्। रघुवंशों में राजा राम के पास मुनि का वेष धारण कर काल स्वयं आता है। इसका तात्पर्य यह है कि युग का स्वरूप राजा के द्वारा निर्धारित होता है। इसी प्रकार कुश के पास अयोध्या की नगर देवी स्त्री के रूप में उपस्थित होती है तथा राम की मृत्यु के उपरान्त अयोध्या के स्वरूप का उल्लेख करती है। राजा के कार्यों का उल्लेख धर्मग्रन्थों एवं अर्थशास्त्र में विशद्रूप से मिलता है जिनको निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है।

रक्षा सम्बन्धी कार्य–राजा के रक्षा सम्बन्धी कार्यों का उल्लेख धर्मग्रन्थों एवं अर्थशास्त्र में मिलता है। ऋग्वेद में राजा को गोप्ताजनस्य कहा गया है। धर्मसूत्रों में सभी प्राणियों की रक्षा करना–पालनं सर्वभूतनाम् राजा का स्वधर्म माना गया है। कौटिल्य ने राजा के द्वारा किए जाने वाले प्रजा की रक्षा सम्बन्धी कार्यों का उल्लेख किया है। अर्थशास्त्र में राजा के रक्षा सम्बन्धी कार्यों के अन्तर्गत दैवी, मानवीय एवं प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, रोग, दुर्भिक्ष, चूहे, जंगली हाथियों, सांपों एवं भूत–प्रेतों अग्निकाण्ड आदि से प्रजा की रक्षा का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में यह कहा गया है कि जो राजा सभी प्रकार के आतंक से राज्य की रक्षा करता है तथा अपने भुजबल से प्रजा को सन्तुष्ट रखता है, वह नित्य संवर्धन को प्राप्त होता है। कालिदास ने विभिन्न प्रकार की आपदाओं तथा चोरों, दस्युओं आदि से प्रजा की रक्षा का उल्लेख किया है। रघुवंश में वर्णन मिलता है कि राजा अतिथि विघ्नों से तपस्वियों के तप की रक्षा करते हैं, चोरों से प्रजा की सम्पत्ति को बचाते हैं –तपो रक्षन्स विघ्नेभ्यस्तस्करेभ्यश्च संपदः। राजा दिलीप जब धनुष हाथ में लेकर घूमते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो नंदिनी की रक्षा के बहाने जंगल के हिंसक जीवों को शान्त रहने की शिक्षा दे रहे हैं। विक्रमोवर्शीय नामक ग्रन्थ में राजा पुरूरवा द्वारा राक्षसों के अत्याचार से रक्षा का उल्लेख मिलता है। आभिज्ञानशाकुन्तल में राजा दुष्यन्त को पीड़ितों का रक्षक कहा गया है जो आपदाओं से प्रजा की रक्षा करते हैं। विशाखदत्त ने भी शत्रुओं से प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य माना है।

वर्णाश्रम व्यवस्था की रक्षा–राजा का दूसरा मुख्य कर्तव्य वर्णाश्रम व्यवस्था की रक्षा करना माना गया है। वर्णाश्रम व्यवस्था का उल्लेख वैदिक ग्रन्थों में मिलता है धर्मसूत्रों में स्पष्टरूप से कहा गया है कि वर्णाश्रम के नियमों को न्यायपूर्वक लागू करना राजा का कर्तव्य है। कौटिल्य का मत है कि जो राजा लोगों को स्वधर्म की ओर प्रेरित करता है, आर्यों के द्वारा निर्धारित नियमों का आदर करता है, साथ ही वर्णों एवं आश्रम के नियमों का पालन करता है वह इहलोक और परलोक दोनों में प्रसन्न रहता है। कालिदास ने भी वर्णों एवं आश्रमों की रक्षा करना राजा का कर्तव्य माना है। रघुवंश में राजा रघु को वर्णों एवं आश्रमों का रक्षक–वर्णाश्राणां कहा गया है। सीता जी ने भी राम को भेजे गए अपने सन्देश में – वर्णों एवं आश्रमों की रक्षा करना राजा का धर्म माना है–नृपस्य वर्णाश्रम पालनम्। राजा दिलीप प्रजा पालन इतनी कुशलता से करते हें कि सब लोग वर्ण एवं आश्रमों के नियमों के अनुकूल आचरण करते हैं। विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस में इसे स्वीकार किया है कि समाज द्वारा स्वीकृत परम्पराओं का निर्वाह करना महापुरूषों के कुल का धर्म है।

न्याय सम्बन्धी कार्य–राजा के न्याय सम्बन्धी कार्यों का उल्लेख धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र दोनों में मिलता है। ऋत् शब्द ऋग्वेद में सार्वभौम नियम अथवा अखिल ब्रह्माण्ड का द्योतक है। न्याय पद्धति का उल्लेख धर्मसूत्रों में मिलता है। कौटिल्य का मत है कि राजा को दिन के दूसरे भाग में पौर–जनपदों के विवादों का निर्णय करना चाहिए। न्याय के ही द्वारा राजा दुर्बलों की रक्षा तथा प्रजा का पालन करता है अतः राजा के न्याय कार्य को यज्ञ के समान फलदायक माना गया है। कालिदास ने राजा के न्यायपूर्ण आचरण पर बल दिया है–धर्मासनात्। रघुवंश में वर्णन मिलता है कि राजा राम स्वयं प्रजा के कार्यों की देखभाल करते हैं।

मनु का मत है कि ब्रह्मा ने इन्द्र मरूत, यम, सूर्य, अग्नि, वरूण, चन्द्र एवं कुबेर के प्रमुख अंशों से युक्त राजा की रचना की है। कालिदास ने भी राजा को दैवी अंशों से युक्त माना है। रघुवंश में वर्णन मिलता है कि रानी सुदक्षिणा के गर्भ में मानो लोकपाल प्रवेश करते हैं। कालिदास ने ऐसे राजाओं का उल्लेख किया है जिनके राज्य में इन्द्र वर्षा करता है, यम रोगों की उत्पत्ति को रोकता है, वरूण जलयान संचालन हेतु जलमार्ग को सुरक्षित करता है तथा कुबेर उनके कोर्श की वृद्धि करता है। इस प्रकार ये लोकपाल जिनकी शक्तियाँ राजा के जन्म के साथ प्राप्त हुई हैं उनकी सहायता करते हैं। तैतरीय ब्राह्मण में राजा के निर्माता को रत्निन् कहा गया है। अभिषेक की प्रक्रिया समाजसापेक्ष है, जिससे राजत्व में जनस्वीकृति का संकेत मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लोगों द्वारा वैवस्वत मनु को राजा बनाये जाने का उल्लेख मिलता है। यद्यपि कालिदास ने स्पष्ट रूप से प्रजाजनों के द्वारा राजा की नियुक्ति का उल्लेख नहीं किया है परन्तु कालिदास की रचनाओं में राजा के राज्याभिषेक तथा उसकी मृत्यु के उपरान्त उत्तराधिकारी की नियुक्ति के अवसर पर प्रजा तथा उसके प्रतिनिधियों की उपस्थिति का उल्लेख किया गया है–तैः कृत प्रकृतिमुख्य संग्रहैराशु। अभिज्ञानशाकुन्तल में लोकतन्त्र का शब्द का उल्लेख मिलता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि कालिदास राजा की नियुक्ति में प्रजा की सहमति का समर्थन करते हैं। इसी प्रकार विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस में प्रजा के समक्ष राजा के राज्याभिषेक का उल्लेख किया है– शिल्यिनः पौरांश्च गृहीतार्थानकृत्वा तस्मिन्नेष

क्षणे पर्वतेश्वरभ्रातरं बैरोचकमेकासने चन्द्रगुप्तेन सहोपवेश्यकृतः पृथ्वीराज्यार्धभागः।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मात्स्यन्याय के सिद्धान्त का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य का मत है कि मात्स्यन्याय से पीड़ित होकर लोग मनु को अपना राजा बनाते हैं। मनु का मत है कि जब सभी भयग्रस्त होकर इधर–उधर भागने लगे तब ब्रह्मा ने इस विश्व की रक्षा के लिए राजा का प्रणयन किया। मात्स्यन्याय का उल्लेख रामायण, शान्तिपर्व तथा कामन्दकीयनीतिसार में भी मिलता है। कालिदास ने रघुवंश नामक ग्रन्थ में राजा के अभाव में प्रजा की दुर्दशा का वर्णन किया है। अनाथदीनाः प्रकृतिरवेक्ष्य साकेतनाथं विधिवच्चकार। राजा दशरथ की मृत्यु एवं राम के वनगमन के उपरान्त अयोध्या की अनाथ प्रजा भरत की शरण में जाती है। विशाखदत्त ने भी राजा के न रहने पर प्रजा के कष्टों का उल्लेख किया है– स्वामिविरहात् सुशिथिलीकृतः प्रयत्नेषु। राजा के गुण–राजा के गुणों का उल्लेख धर्मग्रन्थों में मिलता है। ब्राह्मण ग्रन्थों में कहा गया है कि राजा को शक्तिशाली होना चाहिए, परन्तु राजा के गुणों की विस्तृत सूची कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में दी है। इन गुणों को पी0वी0काणे ने तीन भागों में विभक्त किया है, जैसे कुलीनता, धर्मपरायणता, प्रफुल्लता, बड़ों के प्रति सम्मान भावना, सदाचारिता, सत्यवादिता, वचनवद्धता, कृतज्ञता, विशालचित्तता, उत्साह, सामन्तों को बस में रखने की क्षमता ये राजा के आभिगामिक गुण हैं, सीखने की आकांक्षा, अध्ययन एवं चिन्तन की प्रवृत्ति, धारण करने की सामर्थ्य, वाद–विवाद के उपरान्त निर्णय के प्रति श्रद्धा ये राजा के बुद्धि विषयक गुण हैं, इन गुणों का वर्णन करने के उपरान्त कौटिल्य ने राजा के आत्मसंपत्त गुणों का वर्णन किया है जैसे उचित वचन बोलने वाला, बुद्धि और बल से युक्त, समुचित दण्ड देने वाला, देशकाल और शक्तियों को ध्यान में रखकर आचरण करने वाला। याज्ञवल्क्य स्मृति में राजा के शक्तिशाली दयालु, संयमित मन एवं विचार वाला, सुख–दुःख में समान रहने वाला, अच्छे मातृ एवं पितृ कुल वाला, वचन एवं कर्म में मृदुल, अपने राज्य के दुर्बल स्थलों की रक्षा करने वाला, ब्राह्मणों के प्रति सहनशील, मित्रों के प्रति उदार, शत्रुओं के प्रति कठोर, अनुचरों तथा प्रजाजनों के प्रति पितृवत व्यवहार करने वाला आदि गुणों से युक्त बताया गया है। मनुस्मृति, शान्तिपर्व, कामन्दक, शुक्र आदि में भी राजा के इसी प्रकार के गुणों का वर्णन किया गया है। कालिदास ने भी राजा के गुणों का उल्लेख किया है। रघुवंश में इसका वर्णन मिलता है कि राजा अतिथि के गुण उनके राज्यभार ग्रहण करने के साथ–साथ प्रकट होते हैं। राजा दिलीप के तेज को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो क्षत्रियों का धर्मवीरत्व उनके शरीर में इस आशय से प्रविष्ट हुआ है कि सज्जनों की रक्षा तथा दुर्जनों के विनाश का कार्य उनके माध्यम से सम्पन्न होगा। इसी प्रकार उनके आचरण से ऐसा प्रतीत हो है कि शान्त रहने, क्षमा करने तथा आत्म प्रशंसा से अपने को दूर रखने का गुण भी ज्ञान, शक्ति और त्याग के साथ–साथ उत्पन्न होते हैं–ज्ञानै मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघाविपर्ययः। कालिदास ने बड़ों के प्रति सम्मान भावना तथा विनम्रता जैसे राजा के गुणों का उल्लेख किया है। इन गुणों के अतिरिक्त कालिदास ने राजा के अन्य बुद्धि विषयक गुणों जैसे–चरित्र की पवित्रता, कार्य के प्रति दृढ़ता, साम्राज्य की विशालता शास्त्रों के अनुसार आचरणं, दानशीलता, समुचित दण्ड, सत्य की रक्षा– यथाविधिहुताग्नीनां यथाकामार्चितार्थिनाम्। यथापराधदण्डानां यथाकाल प्रबोधिनाम्।। मितभाषित, कुलीनता, प्रसन्नता, धर्मपरायणता आदि का उल्लेख किया है। रघुवंश नामक ग्रन्थ में राजा रघु के सम्बन्ध में कहा गया है कि उनको सबसे अधिक विश्वास अपने ज्ञान नेत्र पर है जिसके द्वारा वे सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों को अतिशीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं– सूक्ष्म कार्यार्थदर्शिना। कालिदास ने देशकाल के ज्ञान को राजा के गुण के रूप में स्वीकार किया है– देशकालज्ञः। राजा की व्यक्तिगत शूरता का उल्लेख कालिदास की रचनाओं में मिलता है–स्ववीर्यगुप्ता। कालिदास का मत है कि राजा में कठोर और कान्त दोनों प्रकार के गुणों का समावेश होना चाहिए –भीमकान्तैः गुणैः। विक्रमोवर्शीय नामक ग्रन्थ में राजा के आवश्यक गुणों के अन्तर्गत लोकप्रिय और कान्त गुणों पर अधिक बल दिया गया है। रघुवंश में वर्णन मिलता है कि राजा को राज्य संस्कारों में दक्ष–विधिज्ञः तथा जितेन्द्रिय होना चाहिए। आभिज्ञानशाकुन्तल में पराक्रमी एवं प्रतापी राजा दुष्यन्त का उल्लेख मिलता है। विशाखदत्त ने भी राजा के गुणों का उल्लेख किया है मुद्राराक्षस में कहा गया है कि राजा को नीति, पराक्रम और कुलीनता के गुणों से युक्त होना चाहिए – वृष्णीनामिव नीतिविक्रमगुणव्यापारशान्तव्दिषां नन्दानां विपुले कुलेडकरूणयानीते नियत्याक्षम्। विशाखदत्त ने धर्मपरायणता, लोकव्यवहार, शौर्य, गंभीरता, विवेकशीलता, न्यायपरायणता, परोपकार की भावना, देशकाल का ज्ञान, कठोर एवं कान्त गुणों का समावेश, तेजस्विता आदि गुणों का उल्लेख किया है। कौटिल्य के समान विशाखदत्त ने भी स्वीकार किया है कि प्रजा राजा के गुणों के कारण याद करती है।

उत्तराधिकार–उत्तराधिकार के नियमों का उल्लेख धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र दोनों के अन्तर्गत मिलता है। ऋग्वेद में इन्द्र के ज्येष्ठ पद की ओर बार–बार संकेत किया गया है। ब्राह्मणकाल में राजा का रूप वंशानुगत हो जाता है फलतः इन ग्रन्थों में संरक्षण और पितृ–सिद्धान्त का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य का मत है कि आपत्तिकाल को छोड़कर ज्येष्ठ पुत्र को ही राजा बनाना श्रेयस्कर है। मनुस्मृति में उल्लेख मिलता है कि ज्येष्ठ पुत्र उत्पनन होने के पश्चात् मनुष्य पितृऋण से मुक्त हो जाता है अतः ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता से सब कुछ प्राप्त करता है। इसी प्रकार का वर्णन रामायण में आया है, इच्छाकुओं में ज्येष्ठ पुत्र को गद्दी मिलती है। कालिदास की रचनाओं में भी ज्येष्ठ पुत्र को युवराज बनाने का उल्लेख मिलता है। रघुवंश में राम की मृत्यु के उपरान्त लव आदि सात रघुवंशी वीरों के द्वारा अपने सबसे बड़े भाई कुश को उत्तराधिकार प्रदान करने का उल्लेख किया है– अथेतरे सप्त रघुप्रवीरा ज्येष्ठं पुरोजन्मतागुणवैश्चचकुःकुशं ++। पारियात्र अपने ज्येष्ठ पुत्र शील को तथा राजा दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। आभिज्ञानशाकुन्तल में राजा दुष्यन्त सर्वदमन को अपना उत्तराधिकारी स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार विक्रमोवर्षीय नामक ग्रन्थ में राजा पुरूरवा द्वारा अपने पुत्र आयु को उत्तराधिकारी नियुक्त करने का उल्लेख मिलता है। विशाखदत्त के मुद्राराक्षस नामक ग्रन्थ में यह उल्लेख मिलता है कि अमात्य राक्षस राजा पर्वतक की मृत्यु के उपरान्त उसके पुत्र मलयकेतु को उत्तराधिकारी स्वीकार करता है। इस प्रकार कालिदास और विशाखदत्त दोनों ने राजपद को आनुवांशिक तथा ज्येष्ठ पुत्र को वैध उत्तराधिकारी माना है। शिक्षा–धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र दोनों परम्पराओं में राजा की शिक्षा का उल्लेख मिलता है। गौतम धर्मसूत्र में राजा की शिक्षा के सम्बन्ध में त्रयी एवं आन्वीषिकी को महत्वपूर्ण माना गया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में ज्ञान की चार शाखाओं का उल्लेख किया है–आन्वीषिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनीति। इसी प्रकार के विचार मनुस्मृति, शान्तिपर्व, याज्ञवल्क्य, कामन्दक, शुक्र, अग्निपुराण में भी मिलते हैं। कालिदास ने चार प्रकार की विधाओं का उल्लेख किया है, रघुवंश में राजा रघु के सम्बन्ध में कहा गया है कि वे आन्वीषिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनीति चारों विधाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं–चतस्त्र विद्याः ततार। राजा सुदर्शन धर्म, अर्थ एवं काम का फल देने वाली त्रयी, वार्ता और दण्डनीति का अध्ययन करते हैं। विशाखदत्त ने भी मुद्राराक्षस

नामक ग्रन्थ में आन्वीषिकी, दण्डनीति एवं परातिसंधान आदि विधाओं का उल्लेख किया है। शिक्षा व्यवस्था–धर्म ग्रन्थों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के संस्कार तथा अश्व, गज एवं रथ की सवारी तथा विभिन्न प्रकार के अस्त्र–शस्त्र का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य का मत है कि चौलकर्म के उपरान्त राजकुमार को लेखन और अंकगणित का ज्ञान कराना चाहिए। उपनयन के उपरान्त उसे शिष्ट लोगों से वेद एवं आन्वीषिकी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। विभिन्न विभागों के अधीक्षकों से वार्ता तथा व्यावहारिक राजनीतिज्ञों से दण्डनीति का अध्ययन करना चाहिए। इसी प्रकार कौटिल्य का यह मत है कि राजा को दिन के प्रथम भाग में हाथी, घोड़े तथा रथ की सवारी एवं अस्त्र–शस्त्र का अभ्यास करना चाहिए। दिन के अगले भाग में इतिहास–अर्थात् धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र का पाठ करना चाहिए। कालिदास ने राजा की शिक्षा के अन्तर्गत धर्मशास्त्र के अध्ययन का उल्लेख किया है। रघुवंश में–नृपस्यधर्मों मनुना प्रणीतः का उल्लेख किया है। आभिज्ञान शाकुन्तल में दुष्यन्त को लक्ष्य करते हुए शार्ंगरव कहता है–जिसने जन्मकाल से ही छल का नाम भी न सुना हो उसकी बातें असत्य समझी जाय तथा दूसरों को वंचित करने की कला विद्या के रूप में सीखने वालों के कथन सत्य मान लिए जाते हैं, अर्थात् इससे प्रकट होता है कि राजनीतिशास्त्र (जिसमें परातिसंधान व कूटनय सम्मिलित है) कालिदास ने राजा के अध्ययन का विषय माना है। रघुवंश में राजा रघु द्वारा मुण्डन संस्कार के उपरान्त सर्वप्रथम वर्णमाला के अभ्यास का उल्लेख मिलता है, तदोपरान्त वे साहित्य का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। राजा सुदर्शन पटिया पर लिखने का अभ्यास करते हैं तथा विद्वानों के संसर्ग से दण्डनीति एवं राजनीति का ज्ञान प्राप्त करते हैं। राजा रघु मन्त्र युक्त अस्त्रों की शिक्षा अपने पिता से प्राप्त करते हैं जो कि स्वयं अद्वितीय धनुर्धर हैं। राजा प्रतिदिन मन्त्रियों से राज्य कार्य के सम्बन्ध में वार्ता करते हैं। आभिज्ञानशाकुन्तल में राजा दुष्यन्त को धनुष विद्या में निपुण बताया गया है। विक्रमोवर्शीय नामक ग्रन्थ में धनुर्वेद का उल्लेख मिलता है जिसमें युद्ध–विद्या तथा धनुष बाण के प्रयोग की शिक्षा दी जाती है–गहीतविद्यो धनुर्वेदे। विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस में अश्व, गज एवं रथ की सवारी करने वाले राजाओं का उल्लेख किया है तथा कौटिल्य के समान विद्याओं के अभ्यास की आवश्यकता पर बल दिया है–बाण मोक्षश्चलेषु।

संदर्भ

1. गौतम0 10:7–8, आप0 2:5:10:13–16
2. कौ0 8:2
3. महाभारत 3:197
4. शुक्र0 1:43–44, 1:119–20
5. विक्रमो0 पृ0 121
6. रघु0 15:92, उपेस्य मुनिवेषोडथकालः
7. रघु0 16:9
8. ऋग्वेद 3:43:5
9. गौतम0 10:7, बौधायन 1:18:1, आपस्तम्ब 11:25:15
10. कौ0 1:13